E.mail/Post

प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

1– **समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक**
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक**
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 335

दिनांकः 27 जुलाई,2017

विषयः **शैक्षिक सत्र 2017–18 में विद्यालयों में कक्षा–9 एवं 11 में छात्र / छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ज्ञातव्य है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय–बारह के विनियम–3(ख) से (ड.) तक के प्रावधानानुसार परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक संस्थागत छात्र / छात्रा का कक्षा–9 एवं 11 में अग्रिम पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में प्रायः ऐसी स्थिति संज्ञान में आती है कि कतिपय वित्तविहीन विद्यालयों द्वारा कक्षा–9 एवं कक्षा–11 में अत्यधिक संख्या में प्रवेश लेकर छात्र / छात्राओं के ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण करा दिये जाते हैं। जबकि विद्यालय में उनके सापेक्ष कक्षा–कक्ष, अध्यापक, काष्ठोपकरण आदि संसाधनों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता नही होती हैं।

अस्तु उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ जनपद के ऐसे विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कराकर विद्यालयों में छात्र / छात्राओं का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करायें। विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों यथा कक्षा–कक्ष, शिक्षक काष्ठोपकरण आदि के सापेक्ष अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश को अनिवार्य रूप से वर्जित कराया जाय। विद्यालय में वास्तविक संख्या में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का ही शैक्षिक सत्र 2017–18 में कक्षा–9 एवं 11 में ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय, जिससे विद्यालय में सम्यक पठन–पाठन सुनिश्चित हो सके।

आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,
27.7.17

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

(कृ0पं0उ0)

पृष्ठाकन संख्याः मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 335 (1-3 दिनांकः 27 जुलाई,2017

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा–7 अनुभाग, लखनऊ।

2– वैयक्तिक सहायक शि0नि0 (मा0) शिविर कार्यालय, पार्क रोड़, लखनऊ।

3– अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षे0का0, मेरठ / बरेली / इलाहाबाद तथा वाराणसी / गोरखपुर।

27.7

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव।